संशोधन

संख्या- 196 /2024 / 1156 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2024

विषय:- जनपद आगरा के ग्राम बटेश्वर, तहसील बाह में स्थित भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई सांस्कृतिक संकुल की आंतरिक साज-सज्जा (इंटीरियर कार्य) एवं फर्नीचर आदि के क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या- 387 /2023 / 7597 /चार-2023 दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 387 /2023 / 7597 /चार-2023 दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 के प्रस्तर-1 में अंकित 'रू0 2,59,70,000.00 (रू0 दो करोड़ उनसठ लाख सत्तर हजार एक सौ सत्ताइस मात्र)' के स्थान पर 'रू0 2,59,70,000.00 (रू0 दो करोड़ उनसठ लाख सत्तर हजार मात्र)' पढ़ा जाये तथा शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 के प्रस्तर-1 में उप प्रस्तर- (7) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(7) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 387 /2023 / 7597 /चार-2023 दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 196 /2024 / 1156 (1) /चार-2024 तद्दिनांक ।

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. M/s INNOVATIVEVIEW INDIA PRIVATE LIMMITED, PLOT NO.6, TOWER-C, 8TH FLOOR, TECH BOULEVARD, SECTOR-127, NOIDA-201303
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in